तथा अधिकतम मूल्य देखकर सौदे को क्रेता के साथ पक्का कर लिये। देय मूल्य की पूरी रकम मुबलीग 30,00,000/– (तीस लाख) रूपये मात्र बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से लेख्यकारी ने बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 498210110000851 में भुगतान प्राप्त किये हैं। अब लेख्यकारी को लेख्यधारी से कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया है इसलिए यह केवाला आज से ही पूरी तरह से असर में आ गया और उपर वर्णित सम्पति पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल–कब्जा क्रेता को दे दिये। इस प्रकार से सम्पति के सम्बन्ध में बिक्रेता का आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त थे अथवा भविष्य में इनके उत्तराधिकारीयों को प्राप्त होते वे सब अब ज्यों के त्यों लेख्यधारी को प्राप्त हुए। अब लेख्यधारी को अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावे, मकान बनवा कर निवास करें अथवा जैसा उचित समझे इसका इस्तेमाल करें। इससे अब लेख्यकारी या परिवार के किसी भी अन्य उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रहा और ना ही भविष्य में कभी भी रहेगा। अब लेख्यधारी को चाहिए कि इस सम्पति के सम्बन्ध में झारखंड सरकार के सिरिस्ते में अंचल कार्यालय द्वारा अपने नाम का दाखिल–खारीज करा लें तथा सालाना माल देकर इसके लगान की रसीद को अपने नाम से प्राप्त किया करें।

अब उक्त भू–सम्पति से लेख्यकारी दर गुजरे व बाज आये इस लिये लेख्यकारी अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थ्यता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से इस बिक्रय पत्र (केवाला बय–ला कतई) को क्रेता के पक्ष में तैयार करा कर पढ़वाकर सून और समझ लिये, सही पाकर कर स्वतंत्र गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिये जो भू–सम्पति हस्तांतरण का स्थायी प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Satyajeet kumar

टंकक:–